6/18 अध्यक्ष उपस्थित। P.O. साहब
अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है / [illegible] पर
है / का पद रिक्त है। पत्रावली मूल / आदेशानुसार
दिनांक 16-7-18 को पेश हो।

रीडर

16.7.18 वकील वादी उप० / वकील वादी की ओर से PW1 कजोडीमल के बयान दर्ज कराये गये जो कि शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18-7-2018 को पेश हो।

18.7.18 वकील वादी उप० / बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20-7-18 को पेश हो।

20.7.18 वकील वादी उप० / वादी का दावा अंतिम रूप से एक पक्षीय डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसला [illegible] दफ्तर दाखिल की जावे।

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

4. कजोड़ सिंह पुत्र देवी सिंह, एवं
5. कमल सिंह पुत्र देवी सिंह,

जाति राजपूत निवासी मोरपा तहसील बामनवास

6. श्रीमती चन्द्र कलॉ पत्नी नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत निवासी मोरपा तहसील बामनवास, हाल निवासी भण्डारी अंदूरी, जिला करौली, वादीगण

बनाम

4. गोपाल सिंह पुत्र मदन सिंह एवं
5. महावीर सिंह पुत्र मदन सिंह
6. लेखराज सिंह पुत्र गौरी शंकर

जाति राजपूत निवासी मोरपा तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत दखलयावी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं मीन्स ऑफ प्रोफिट

राजस्व वाद संख्या 82/2016

वादीगण स्वयं अपने अधिवक्ता श्री आर.के. त्रिवेदी सहित उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह वाद आज दिनांक 20.7.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय रूप से डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 137 रकवा 0.30 हैक्टेयर व 138 रकवा 0.04 हैक्टेयर स्थित ग्राम मोरपा तहसील

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

बामनवास से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद जाता है कि वे वादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजियात् के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न तो उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें, वहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण आदि न करें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित न करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 20.7.2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स० मा०)

(रामकिशोर मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	